# न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2015 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 15.04.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00085

श्रीमति पानी बाई पत्नि किशनलाल जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम

1–श्रीमति अणछाई बेवा कालू जाति अहीर, आयु वयस्क, निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, बडीसादडी बमिसल क्रमांक 910/2001 आवंटन दिनांक 05.01.2002**

उपस्थितिः– 1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री सावन श्रीमाली, अधिवक्ता वि. सं. 1

| प्र. सं. 06/2015 (रा.प्रा.पत्र) |
| --- |
| श्रीमति पानी बाई पत्नि किशनलाल जाति अहीर निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्रीमति अणछाई बेवा कालू जाति अहीर निवासी मंगलवाड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा |

## निर्णय

**दिनांक 08.08.2024**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 2033 रकबा 1 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से विपक्षी को तत्कालीन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नम्बर 910/2001 से दिनांक 05.01.2002 को आवंटित की जो निरस्त योग्य है। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थी एवं उसके पति का ही चला आ रहा है। आवंटन दिनांक से आज तक विपक्षी का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा प्रार्थी का निरन्तर कब्जा होने से आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला है। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। भू आवंटन पत्रावली प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीया को मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 2033 रकबा 1 बीघा भूमि का जो आवंटन किया है वो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। क्योंकि भू आवंटन कमेटी द्वारा बिना जांच पड़ताल के विपक्षीया को उक्त भूमि आवंटित कर दी जबकि विवादित आराजीयात पर प्रार्थीया का कब्जा है। आराजी नम्बर 2036 रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया एवं उसके पति किशनलाल ने संयुक्त रूप से पंजीकृत बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थीया एवं उसके पति

का खरीदशुदा आराजीयात 2036 के साथ विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2033 जो कि प्रार्थीया की आराजीयात के सर्वेले में मुख्य सड़क तक स्थित है पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। विपक्षीया का आवंटित आराजीयात पर आवंटन के पूर्व एवं पश्चात् कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं न ही आवंटन आदेश की पालना में विपक्षीया को उक्त आराजीयात का कब्जा दिया। उक्त आराजीयात पर विपक्षीया का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। विपक्षीया को आवंटनशुदा 1 बीघा भूमि पर उसका कब्जा नहीं होकर प्रार्थीया तथा उसके पति किशनलाल का कब्जा एवं काश्त होने से विपक्षीया व उसके पति को बेदखल किये बिना विपक्षीया को विवादित आराजीयात आवंटन कर दी जबकि विपक्षीया आवंटन हेतु पात्र ही नहीं थी। विपक्षीया को बिना किसी जांच पड़ताल के आवंटन किया जो अवैधानिक है। आवंटन दिनांक से विपक्षीया का इस भूमि पर कोई कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही आवंटन नियमों की पालना की गई है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आवंटन निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीया का मुख्य कथन यह रहा कि भू आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीया को जो आवंटन किया है वह पूर्ण जांच–पड़ताल के बाद विपक्षीया पात्र होने से आवंटन किया है जो विधि–सम्मत् है। आवंटनशुदा आराजीयात पर विपक्षीया का आवंटन दिनांक से लगातार कब्जा एवं काश्त है तथा विवादित आराजीयात विपक्षीया के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है जिससे आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थीया द्वारा द्वेषतावश तथ्यों को छिपाकर न्यायालय में मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर यह आवेदन प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तलबीदा आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा विपक्षीया को मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला की आराजी संख्या 2033 रकबा 1 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया है। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीया द्वारा आवंटन दिनांक

से निरन्तर आवंटित आराजीयात पर विपक्षीया/आवंटी का कब्जा एवं काश्त होने संबंधी कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवंटित आराजीयात पर विपक्षीया का कब्जा एवं काश्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

हमने विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2033 के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार, डूंगला से वर्तमान जमाबन्दी तलब की जिसके अनुसार विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2033 रकबा 0.2900 है. किस्म मंगरी होकर राज. सरकार के खाते में दर्ज होना स्पष्ट प्रतिवेदित है। विपक्षीया द्वारा ऐसा कोई आधार या ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे उनका आवंटीत आराजीयात पर कब्जा-काश्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2072-2075 अनुसार विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2033 रकबा 0.2900 है. किस्म मंगरी होकर राज. सरकार के खाते में दर्ज है।

साथ ही विद्वान अधिवक्ता विपक्षीया ने विवादित आराजीयात विपक्षीया के खातेदारी में दर्ज होने संबंधी कथन किया है किन्तु अपने उक्त कथन की पुष्टि स्वरूप भी कोई साक्ष्य/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे विवादित आराजीयात विपक्षीया के खातेदारी में दर्ज होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षीया का उनको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि/आराजीयात पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षीया द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि/आराजीयात विपक्षीया के खाते में दर्ज नहीं होकर सरकार के खाते में किस्म मंगरी दर्ज रेकर्ड है। निष्कर्षतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीया को मौजा मंगलवाड़, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 2033 रकबा 1.00 बीघा का जरिये मिसल नम्बर 910/2002 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

**(राकेश कुमार)**